



**भारत सरकार**  
**Government of India**  
**पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय**  
**Ministry of Environment, Forest & Climate Change**  
**क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ**  
**Regional Office, Lucknow**



केन्द्रीय भवन, ग्यारवां तल, सेक्टर एच, अलीगंज, लखनऊ-226024  
Kendriya Bhawan, 11<sup>th</sup> Floor, Sector H, Aliganj, Lucknow-226024, Phone No : 0522-2326696  
Email : roc2.lko-mef@nic.in, goimoeftrolko@gmail.com

पत्र सं० : 8बी/यू0पी0/06/07/2025/एफ.सी. 1183.

दिनांक : 20.02.2025

सेवा में,

अति० मुख्य सचिव,  
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,  
उत्तर प्रदेश शासन, बापू भवन, लखनऊ।

**ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या- FP/UP/ROAD/157011/2022**

**विषय:** जनपद बिजनौर में बिजनौर एवं नजीबाबाद वन प्रभाग के अन्तर्गत Construction of 4-lanning of Kotdwar by pass of NH-119 connecting Najibabad-Kotdwar to kotdwar pauri road in the State of Uttar Pradesh under Bharatmala Pariyojna Lot-4 package-2 from Ch.0.000 to 5.900 तक चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण में प्रभागीय वनाधिकारी नजीबाबाद के अन्तर्गत प्रभावित 4.61 हे० आरक्षित वनभूमि एवं बाधक 1238 वृक्ष एवं बिजनौर वन प्रभाग के अन्तर्गत प्रभावित 0.66 हे० संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 121 वृक्ष अर्थात् कुल 5.27 हे० संरक्षित एवं आरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बाधक 1359 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

**संदर्भ:** सचिव (वन), उत्तर प्रदेश शासन का पत्रांक 65/81-2-2025-800(260)/2024, दिनांक 05.02.2025.

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का आषय ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रकरण में राज्य सरकार द्वारा वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति मांगी गयी है।

प्रणगत प्रकरण में परीक्षणोपरान्त मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि निम्न बिन्दुओं पर आवश्यक सूचना/जानकारी इस कार्यालय में उपलब्ध कराएं ताकि प्रकरण में आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके:-

1. As per the proposal, CA has been proposed in Non-Forest land but according to DSS the proposed CA falls under the Forest boundary. This needs clarification/rectification.
2. Geo-referenced cadastral map overlaying with the proposed CA land polygon and forest boundary needs to be submitted.
3. Cross section plan of the project is not legible. This needs to be re-uploaded on PARIVESH portal with high DPI.
4. Since the forest land proposed for diversion under forest division Najibabad is part of notified Elephant Reserve. Thus, the comments from the Chief Wildlife Warden along with Wildlife mitigation plan needs to be submitted.
5. NOC from the concerned dept. (like Irrigation, PWD, Railway etc.) needs to be submitted.
6. Approval details of existing highway under VSESA, 1980 needs to be submitted.
7. It is not clear from the proposal that what is the status of widening before & what is after proposed alignment.
8. Detailed muck calculation & muck disposal scheme as approved by concerned DFO needs to be submitted.
9. Details of existing ROW proposed ROW and land width (ROW) availability for road side plantation needs to be submitted and accordingly plantation scheme for roadside plantation needs to be submitted.

भवदीया,

(विजया रात्रे)

सहायक वन महानिरीक्षक [केन्द्रीय]

**प्रतिलिपि (ईमेल द्वारा):**

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक(हॉफ), वन विभाग, 17, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ, उ०प्र०।
2. मुख्य वन संरक्षक(वन संरक्षण) एवं नोडल अधिकारी, 17, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ, उ०प्र०।
3. प्रभागीय वनाधिकारी/निदेशक बिजनौर एवं नजीबाबाद वन प्रभाग।
4. परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण पी०आई०यू० नजीबाबाद, जिला बिजनौर।
5. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु/आदेश पत्रावली।

(विजया रात्रे)

सहायक वन महानिरीक्षक [केन्द्रीय]